

प्रेषक,

श्रीमती हेमलता ढौँडियाल  
संयुक्त सचिव  
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
जिला नगरीय विकास अभियान,  
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 6 फरवरी, 98

नगरीय रोजगार एवं  
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम  
अनुभाग।

विषय: सूडा द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय  
सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 1182 / 69-1-97 / 85 एन. आर.  
वाई / 96, दिनांक 29 जुलाई, 1997 एवं अनुस्मारक पत्र दिनांक 25 अक्टूबर,  
1997 का कृपया संदर्भ लें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूडा द्वारा संचालित  
विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जनपदों को उपलब्ध कराई गई कुल धनराशि के  
सापेक्ष उपयोगिता एवं अनुपयोगित धनराशि का मदवार विस्तृत विवरण पर्याप्त  
समय व्यतीत होने के उपरान्त भी शासन को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

3. अवगत है कि एस.जे.एस.आर.वाई. एवं एन.एस.डी.पी. के अन्तर्गत धनराशि  
शासन रत्तर पर अद्युक्त की जानी है, और वाचित सूचना प्राप्त न होने पर संबंधित  
जनपद को धन आवंटन किया जाना सम्भव न होगा, जिसके लिए पूर्ण उत्तददायित्व  
संबंधित दूडा का ही होगा। अतः अनुरोध है कि कृपया यथावाचित विस्तृत वित्तीय  
सूचना अधिलग्न शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

कृपया इसे प्राथमिकता दें।

मददीय,

(हेमलता ढौँडियाल)  
संयुक्त सचिव।